

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प.1(1)कार्मिक/क-4/2022

जयपुर

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो विशिष्ट सहायक/निजी सचिव के पदों पर माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव के यहाँ पदस्थापित हैं, को तुरन्त प्रभाव से एतद्द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में लिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अक्षय गोदारा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सम्बन्धित कण्ट्रोलिंग अधिकारी।
6. समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

1. प्रतिलिपि अन्य सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5121604



Digitally signed by Akshay Godara
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2023.12.04 15:11:15 IST
Reason: Approved